जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यालय, प० सिंहभूम, चाईबासा ।

विज्ञापन

ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.12 में अंतनिर्हित प्रावधानों के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सृजित पदों के रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति हेतु जिला पश्चिमी सिंहभूम में आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में दिनांक ...15/10/2013 के अपराह्न 5:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के द्वारा भेज सकते हैं। कार्यालय द्वारा सीधे आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा।

पदवार रिक्तियाँ निम्न प्रकार हैं:–

क्र०सं०	पदनाम	कुल रिक्त पद	आरक्षित कोटि
1.	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) (वर्ग–3)	30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
2.	लेखा सहायक (वर्ग–3)	04	
3.	कम्प्युटर सहायक (वर्ग–3)	06	
4.	ग्राम रोजगार सेवक	26	

(नोट :– रिक्तियों की संख्या में आवश्यकता अनुसार संशोधन हो सकता है।)

परिलब्धि :–

(1) तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) – 17520/– (सतरह हजार पाँच सौ बीस) रूपये प्रति माह अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारण राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय।

(2) लेखा सहायक – 8000/– (आठ हजार) रूपये प्रति माह अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारण राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय।

(3) कम्प्युटर सहायक– 8000/– (आठ हजार) रूपये प्रति माह अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारण राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय।

(4) ग्राम रोजगार सेवक – 6050/– (छः हजार पाँच सौ) रूपये प्रति माह अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारण राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय।

(नियुक्ति के लिए पदवार शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तें जिले के वेबसाईट **www.chaibasa.nic.in** पर देखा जा सकता है।)

आवेदन–पत्र का प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम :–
2. आवेदक का नाम :–
3. आवेदक का पिता/पति का नाम :–
4. पत्राचार का पता :–
5. दूरभाष/मोबाईल नं० :–
6. स्थायी पता :–
7. जन्म तिथि :–
8. आरक्षण कोटि (अनारक्षित/अ०ज०जा०/अ०जा०) :–
9. शैक्षणिक योग्यता :–
   (i) अनिवार्य योग्यता :–
   (ii) अतिरिक्त योग्यता :–
10. **अनुलग्नक**
   (i) शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण–पत्र मैट्रिक से अब तक (अभिप्रमाणित प्रति)
   (ii) अंक–पत्र (अभिप्रमाणित प्रति)
   (iii) जाति प्रमाण–पत्र (अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त)
   (iv) आवासीय प्रमाण–पत्र (अनुमंडल पदाधिकारी)
   (v) शपथ–पत्र
   (vi) स्व अभिप्रमाणित फोटा– 2 प्रति
   (vii) अन्यन्य

घोषणाः– प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सभी विवरणी सत्य है। असत्य एवं गलत पाये जाने पर स्वयं दण्ड भागी होंगे।

स्थान :–

दिनांक :–

आवेदक का हस्ताक्षर

(नोटः– लिफाफे के ऊपर ऐच्छिक पदनाम लाल रोसनाई से अंकित करें।)

001.jpg

ह०
उपायुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक :–637 (मनरेगा) जि०ग्रा० दिनांक 23/09/13
प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को निर्देश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को जिले के वेबसाईट में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

002.jpg

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यालय, प० सिंहभूम, चाईबासा ।

विज्ञापन

ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.12 में अंतनिर्हित प्रावधानों के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सृजित पदों के लिए हुई रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पद पर नियुक्ति हेतु जिला पश्चिमी सिंहभूम में आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में दिनांक 15/10/13 के अपराह्न 5:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के द्वारा भेज सकते हैं। कार्यालय द्वारा सीधे आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा।

पदवार रिक्तियाँ निम्न प्रकार हैं:–

क्र०सं०	पदनाम	कुल रिक्त पद	आरक्षित कोटि
1.	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) (वर्ग–3)	30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
2.	लेखा सहायक (वर्ग–3)	04	
3.	कम्प्युटर सहायक (वर्ग–3)	06	
4.	ग्राम रोजगार सेवक	26	

(नोट :– रिक्तियों की संख्या में आवश्यकता अनुसार संशोधन हो सकता है।)

परिलब्धि :–

(1) तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) – 17520/– (सतरह हजार पाँच सौ बीस) रूपये प्रति माह अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारण राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय।

(2) लेखा सहायक – 8000/– (आठ हजार) रूपये प्रति माह अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारण राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय।

(3) कम्प्युटर सहायक– 8000/– (आठ हजार) रूपये प्रति माह अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारण राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय।

(4) ग्राम रोजगार सेवक – 6050/– (छः हजार पचास) रूपये प्रति माह अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारण राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय।

(1) तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) :–

(i) न्यूनतम योग्यता :–
सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा न्यूनतम योग्यता होगी।

(ii) अतिरिक्त योग्यता –

- सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०टेक०/बी०ई०, बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्युटर/ बी०एस०सी० कम्प्युटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्युटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।
- बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्युटर को बी०एस०सी० कम्प्युटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दियें जायेंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्युटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।
- एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०एस०सी० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

003.jpg

(2) लेखा सहायक के लिए अपेक्षित योग्यता :–

(i) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०कॉम आनर्स या सामान्य बी०कॉम न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी०कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात् एम०कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे, परन्तु बी०कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी०कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता –

- ❖ सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०कॉम, बी०सी०ए० तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० अतिरिक्त योग्यता होगी।
- ❖ एम०एस०सी०/एम०सी०ए० कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत 5 घटा दिया जायेगा, जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

(3) कम्प्युटर सहायक के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता : –

(i) अनिवार्य योग्यता –

❖ सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे।

1. बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स
2. बी0एस0सी0 कम्प्युटर सामान्य
3. बी0सी0ए0
4. सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण।

❖ बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत में 10 घटाकर बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता –

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/ एम०एस०सी० कम्प्युटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) एम०सी०ए०/ एम०एस०सी० कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/सामान्य बी०एस०सी० कम्प्युटर के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

(4) ग्राम रोजगार सेवक के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता : –

(i) अनिवार्य योग्यता –

❖ सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमिडिएट या मैट्रिक के पश्चात् किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात् ITI की स्थिति में ITI का प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमिडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता –

- ❖ सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी०सी०ए० तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/ पी०जी०डी०सी०ए०/ पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०आर०डी० अतिरिक्त योग्यता होगी।
- ❖ स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत के प्राप्तांक को 5 अंक का अधिवार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी०जी०डी०सी०ए०/ पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०आर०डी० को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।
- ❖ अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमिडिएट तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के औसत प्रतिशत प्राप्तांक को आधार पर किया जायेगा।

उपरोक्त सभी पदों के लिए अन्य अहर्ताएं एवं शर्तें निम्नलिखित होंगे :–

1. सभी पद हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा, भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी। आयु सीमा की गणना दिनांक 01.10.2013 को आधार मानकर की जायेगी।
2. तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद हेतु झारखण्ड सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) के संकल्प ज्ञापांक -4-1039(NREGA)/2009/ग्रा०वि० 3033 राँची, दिनांक 27.05.2013 के आलोक में सेवा निवृत पदाधिकारी/कार्मिक की आवेदन हेतु उपरी उम्र सीमा 63 (तिरसठ) वर्षों तक होगी तथा संविदा पर नियुक्त पदाधिकारी/कार्मिक अधिकतम 65 (पैंसठ) वर्षों के उम्र तक कार्य कर सकेंगे।
3. आवेदक भारत के नागरिक हो।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
5. सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतयाः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
6. प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिए गए निणय के अनुरूप यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
7. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम अन्तर्गत कंडिका 6 में वर्णि प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/लेखा सहायक/कम्प्युटर सहायक एवं रोजगार सेवक का पद जिला स्तरीय पद होगा। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन इस जिला के किसी प्रखण्ड में करने के लिए उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक सक्षम होंगे तथा उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।
9. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह के लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
10. तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्युटर सहायक एवं रोजगार सेवक के पद हेतु अभ्यर्थी के साथ यह शपथ–पत्र (Affidavit) देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिले में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया है। यदि उनका यह शपथ–पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
11. एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकेगा।
12. आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु जाति प्रमाण–पत्र/आवासीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।
13. अपूर्ण/अहस्ताक्षरित/विलंब से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

005.jpg